16/1/..

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आवाज लगवाने पर भी सायं 5:00 बजे तक वादी एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अदम पैरवी में छलल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हो।

दफ्तर

ADO